न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 426/2026

अनवान : –

1. रोताश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

– वादीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 135/135 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विवादित भूमि वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 05.02.2026 को 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 प.नं. 325/387(57) के किला नं. 13 व 14 की 0.506 है0 बारानी प्रथम व किला नं. 15/1 की 0.0250 है. गै.मु.खाला, किला नं. 15/2 की 0.2280 है. बारानी प्रथम किला नं. 17, 18, 19 की 0.759 है. बारानी प्रथम की 1.4930 है. गै.मु.खाला की 0.0250 है. कुल तादादी 1.5180 है. भूमि में से विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 का 2133/14930 हिस्सा व विक्रेता रणजीत प्रतिवादी संख्या 2 का 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि को क्रेतागण यानी वादी संख्या 1 व 2 ने ब0 हि0 ब0 खरीद किया था जो उप पंजीयन नोहर में दिनांक 05.02.2026 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करते आ रहे है। रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 के कुल खसरे कुल 7 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि में से 2133/14930 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था व 2666/7465 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार था तथा जरिये बयनामा दिनांक 05.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज 2133/14930 हिस्सा भूमि को तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि वादीगण को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि को जरिये बैयनामा अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बैयनामा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी व बैयनामा पेश किया जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित भूमि वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 05.02.2026 को 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 प.नं. 325/387(57) के किला नं. 13 व 14 की 0.506 है0 बारानी प्रथम व किला नं. 15/1 की 0.0250 है. गै.मु.खाला, किला नं. 15/2 की 0.2280 है. बारानी प्रथम किला नं. 17, 18, 19 की 0.759 है. बारानी प्रथम की 1.4930 है. गै.मु.खाला की 0.0250 है. कुल तादादी 1.5180 है. भूमि में से विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 का 2133/14930 हिस्सा व विक्रेता रणजीत प्रतिवादी संख्या 2 का 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि को क्रेतागण यानी वादी संख्या 1 व 2 ने ब0 हि0 ब0 खरीद किया था जो उप पंजीयन नोहर में दिनांक 05.02.2026 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करते आ रहे है। रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 के कुल खसरे कुल 7 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि में से 2133/14930 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था व 2666/7465 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार था तथा जरिये बयनामा दिनांक 05.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज 2133/14930 हिस्सा भूमि को तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि को जरिये बैयनामा अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 135/135 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि विवादित भूमि वादीगण ने जरिये बैयनामा दिनांक 05.02.2026 को 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 प.नं. 325/387(57) के किला नं. 13 व 14 की 0.506 है0 बारानी प्रथम व किला नं. 15/1 की 0.0250 है. गै.मु.खाला, किला नं. 15/2 की 0.2280 है. बारानी प्रथम किला नं. 17, 18, 19 की 0.759 है. बारानी प्रथम की 1.4930 है. गै.मु.खाला की 0.0250 है. कुल तादादी 1.5180 है. भूमि में से विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 का 2133/14930 हिस्सा व विक्रेता रणजीत प्रतिवादी संख्या 2 का 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि को क्रेतागण यानी वादी संख्या 1 व 2 ने ब0 हि0 ब0 खरीद किया था जो उप पंजीयन नोहर में दिनांक 05.02.2026 को रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करते आ रहे है। रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 के कुल खसरे कुल 7 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि में से 2133/14930 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था व 2666/7465 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार था तथा जरिये बयनामा दिनांक 05.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज 2133/14930 हिस्सा भूमि को तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज 2666/7465 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि वादीगण को बेचान कर दिया लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि को जरिये बैयनामा अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135/133 के कुल खसरे कुल 7 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 2133/14930 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को बतौर खातेदार काश्तकार किया जताा है एवं शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....03/06/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 426 / 2026

अनवान : –

1. रोताश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

– वादीगण

बनाम्

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रणजीत पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 426 सन 2026 निर्णय दिनांक 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 135 / 133 के कुल खसरे कुल 7 की कुल तादादी 1.5180 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा में से 2133 / 14930 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा में से 0.1626 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को बतौर खातेदार काश्तकार किया जताा है एवं शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर